

बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

महत्वपूर्ण
फैक्स/ई-मेल

पत्रांक-प्र07-कि0आ0-01/2015-

7688

खाद्य, पटना/दिनांक- 23.9.15

प्रेषक,

प्रकाश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- सितम्बर, 2015 के लिए अतिरिक्त किरासन तेल का उपावंटन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालाईसिस सेल, नई दिल्ली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार से माह, जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर, 2015 के लिए कुल 1,99,176 के0एल0 किरासन तेल का आवंटन प्राप्त हुआ है । इस त्रैमास हेतु उपावंटित किरासन तेल की मात्रा का उठाव हर हाल में त्रैमास की समाप्ति से पूर्व कर लिया जाना है ।

2. विभागीय पत्रांक- 7197 दिनांक- 07.09.2015 द्वारा माह सितम्बर, 2015 के लिए किरासन तेल का मासिक उपावंटन किया गया है ।

3. वर्तमान में उपलब्ध किरासन तेल की मात्रा को संलग्न उपावंटन तालिका के अनुरूप माह सितम्बर, 2015 के लिए जिलावार अतिरिक्त किरासन तेल का उपावंटित किया जा रहा है । उक्त उपावंटित मात्रा का उठाव कर जिले में सुरक्षित रखा जाय ।

4. उपावंटित अतिरिक्त किरासन तेल की मात्रा का उठाव माह की समाप्ति से पूर्व निश्चित रूप से कर लिया जाय । इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि उपावंटित किरासन तेल की कोई भी मात्रा व्ययगत न होने पाये ।

विश्वासभाजन,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

खाद्य, पटना/दिनांक- 23.9.15

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014 7688

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

खाद्य, पटना/दिनांक- 23.9.15

ज्ञापांक प्र07-कि0आ0-01/2014 - 7688

प्रतिलिपि- राज्य स्तरीय संयोजक सह- महाप्रबंधक, भारतीय तेल निगम, लोक नायक जय प्रकाश भवन, डाक बंगला चौक, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुरोध है कि संलग्न जिलावार उपावंटन सूची के अनुरूप जिलावार तेल कंपनी का कोटा निर्धारित कर सभी जिलों एवं विभाग को उसकी एक प्रति उपलब्ध करायी जाय तथा जिलों द्वारा थोक विक्रेताओं को उपावंटित किरासन तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

खाद्य, पटना/दिनांक- 23.9.15

ज्ञापांक- प्र07-कि0आ0-01/2014 - 7688

प्रतिलिपि- अपर निदेशक, (डी. एंड ई. एस.), पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालाईसिस सेल, नई दिल्ली, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार को संदर्भित पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

